रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 1975/ज्येष्ठ 13, 1897
No. 145] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 1975/JYAISTHA 13, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 3rd June 1975

G.S.R. 317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 162/67-Central Excises, dated the 21st July, 1967, the Central Government hereby exempts matches specified in column (2) of the Table below, falling under Item No. 38 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared by any manufacturer for home consumption, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

TABLE

Category	Description of matches	Rate (Rs. per gross of 50 matches each)
(1)	(2)	(3)
1.	Matches, in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power.	4·60
2.	Matches, in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power.	4·30

Provided that—

(i) in the case of matches referred to in category 2 and cleared for home consumption during a financial year by a manufacturer from a factory which is recommended by the Khadi and Village Industries Commission for exemption under this notification as a *bona fide* cottage unit, or which is a member of a co-operative society, including a marketing or service industrial co operative society, registered under any law relating to co operative societies for the time being in force, the amount of exemption shall be increased by 55 paise per gross of boxes of 50 matches each,

(a) if the manufacturer makes a declaration under this proviso that the total clearance of matches from such factory during the financial year is not estimated to exceed 75 million matches,

(b) if the production in a calendar month from such factory does not exceed 10 million matches, and

(c) where the clearance of matches from such factory in the financial year exceeds 75 million matches, but does not exceed 100 million matches, the duty on such excess clearance shall be required to be paid at the rate of Rs. 4.30 per gross of 50 matches each and if the clearance, by or on behalf of such manufacturer, exceeds 100 millions matches during the financial year, the duty shall be required to be paid at the rate of Rs. 4.30 per gross of 50 matches each on the entire quantity cleared during the financial year.

Explanation.—During the period commencing on the 1st April, 1975 and ending with the 31st December, 1975, the provisions of this clause shall be applicable to matches referred to in category (2) and cleared for home consumption during the said period by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, other than those specified in this clause, subject to the modifications that—

(a) references to 75 million matches and 100 million matches shall be construed as references to 56 million matches and 75 million matches respectively, and

(b) the manufacturer makes a declaration that he shall not use labels, which are approved by the Collector of Central Excise under sub-rule (3) of rule 71 of the Central Excise Rules, 1944, for any other manufacturer and in the event of the said declaration being found not to be correct, the manufacturer shall be required to pay duty at the rate of Rs. 4.30 per gross of boxes of 50 matches each on the entire quantity cleared during the said period;

(ii) in the case of matches packed in boxes in which both the outer shall as well as the inner slide are made of card board, the amount of exemption shall be increased, or further increased, as the case may be, by thirty paise per gross of boxes and in the case of matches packed in boxes in which the inner slide alone is made of card board, the amount of exemption shall be increased, or further increased, as the case may be, by twelve paise per gross of boxes;

(iii) in the case of matches referred to in category 2, the rate of exemption shall be increased or further increased, as the case may be, by 50 paise per gross of boxes, if bamboo is used for the splints or for both splints and veneers;

(iv) the rate of duty applicable to matches referred to in category 2, the splints of which are made of bamboo and which are packed in boxes of 40s shall be four-fifths of the rate applicable to matches of identical description produced in the same factory but packed in boxes of 50s, and if such packing in boxes of 50s is not done, it shall be four-fifths of the notionally determined rate for matches packed in boxes of 50s.

Explanation. -For the purposes of this notification—

(i) no process other than the mechanical process employed for dipping of splints in the composition for match heads or for filling of boxes with matches, or both, shall be deemed to be a process ordinarily carried on with the aid of power;

(ii) the clearances of matches during the period from 1st April, 1975 to 30th June, 1975, shall also be taken into account for the determination of the ceiling limits of clearances—

(a) during the financial year 1975-76 for purposes of clause (i), [except sub-clause (b) thereof], and

(b) during the period ending with the 31st December, 1975 for the purpose of Explanation to clause (i),

(iii) the units recommended by the Khadi and Village Industries Commission for exemption under notification No. 162/67-Central Excises, dated the 21st July, 1967, as a *bona fide* cottage unit shall be deemed to be so recommended for the purposes of clause (i).

2. This notification shall take effect on and from the 1st day of July, 1975.

[No. 184/75]

N. RAJA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 3 जून, 1975

सा० का० नि० 317(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 162/67-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 21 जुलाई, 1967 को अधिक्रांत करते हुये, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 28 के अन्तर्गत आने वाली, और गार्हस्थिक उपभोग के लिये किसी विनिर्माता द्वारा निकासी कराई गई, दियासलाइयों को जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है, छूट देती है .

सारणी

प्रवर्ग	दियासलाइयों का वर्णन	दर (50 दियासलाइयों के बंडलों के प्रत्येक ग्रुप के लिये)
(1)	(2)	(3)
		रु० पै०
1.	ऐसी दियासलाइयां, जिनके विनिर्माण में या उसके संबंध में, मामूली तौर पर विद्युत की सहायता से कोई प्रक्रिया की जाती है ।	4.60

(1)	(2)	(3)
2	ऐसी दियासलाइयां, जिनके विनिर्माण में या उसके संबंध में, मामूली तौर पर विद्युत की सहायता से कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है।	4.30

परन्तु यह कि —

(i) प्रवर्ग 2 में निर्दिष्ट, और किसी ऐसे कारखाने से, जिसके बारे में इस अधिसूचना के अधीन उपभोग के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सदभाविक कुटीर एकक के रूप में सिफारिश की गई हो या जो किसी सहकारी सोसायटी का सदस्य हो, जिसमें तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसायटियों से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत विपणन या सेवा औद्योगिक सहकारी सोसायटी भी सम्मिलित है, विनिर्माता द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान गार्हस्थिक उपभोग के लिए निकासी की गई दियासलाइयों की दशा में, छूट की रकम में 50 दियासलाइयों के बंडल के ग्रुस पर 55 पैसे के हिसाब से वृद्धि की जाएगी,

(क) यदि विनिर्माता इस परन्तुक के अधीन यह घोषणा करे कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कारखाने से दियासलाइयों की कुल निकासी 7.5 करोड दियासलाइयों से अधिक होने की सम्भावना नहीं है।

(ख) यदि किसी कलैण्डर मास में ऐसे कारखाने का उत्पादन एक करोड़ दियासलाइयों से अधिक नहीं है, और

(ग) जहां सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ऐसे कारखाने से दियासलाइयों की निकासी 7.5 करोड दियासलाइयों से अधिक है, किन्तु 10 करोड दियासलाइयों से अधिक नहीं है, वहां ऐसी अधिक निकासी पर शुल्क का 50 दियासलाइयों के बंडल के प्रत्येक ग्रुस पर, 4 रु० 30 पैसे की दर से संदाय किया जाएगा और यदि ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली निकासी, सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान 10 करोड दियासलाइयों से अधिक हो जाती है, तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी की गई सम्पूर्ण मात्रा पर दियासलाइयों के बंडल के प्रत्येक ग्रुस पर 4 रु० 30 पैसे की दर से शुल्क का संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.— 1 अप्रैल, 1975 को प्रारम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, इस खण्ड के उपबन्ध प्रवर्ग (2) में निर्दिष्ट, और इस खण्ड में विनिर्दिष्ट कारखानों से भिन्न किसी एक या अधिक कारखानों से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से उक्त अवधि के दौरान गार्हस्थिक उपभोग के लिए निकासी की गई दियासलाइयों को इन उपान्तरणों के अधीन लागू होंगे कि—

(क) 7.5 करोड़ दियासलाइयों और 10 करोड़ दियासलाइयों के प्रति निर्देश क्रमशः 5.6 करोड दियासलाइयों और 7.5 करोड दियासलाइयों के प्रति निर्देश समझा जाएगा, और

(ख) विनिर्माता यह घोषणा करे कि वह उन लेबिलों का उपयोग नहीं करेगा, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 71 के उपनियम (3) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कलक्टर द्वारा किसी अन्य विनिर्माता के लिए अनुमोदित किए गए हैं, और यदि उक्त घोषणा सही नहीं पाई जाए, तो विनिर्माता से उक्त अवधि के दौरान निकासी की गई सम्पूर्ण मात्रा पर 50 दियासलाइयों के बंडल के प्रत्येक ग्रुस पर 4 रू० 30 पैसे की दर से शुल्क का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी ;

(ii) ऐसे बक्सों में, जिनमें बाहरी शैल और अन्दर का स्लाइड कार्ड-बोर्ड का बना हो, पैक की गई दियासलाइयों की दशा में, छूट की रकम में, बक्सों के प्रत्येक ग्रुस पर, यथास्थिति, 30 पैसे की वृद्धि या और वृद्धि की जाएगी, और ऐसी दियासलाइयों की दशा में, जिनमें केवल अन्दर का स्लाइड कार्ड-बोर्ड का बना हो, छूट की रकम में, बक्सों के प्रत्येक ग्रुस पर, यथास्थिति, 12 पैसे की वृद्धि या और वृद्धि की जाएगी;

(iii) प्रवर्ग 2 में निर्दिष्ट दियासलाइयों की दशा में, छूट की दर में, बक्सो के प्रत्येक ग्रुस पर, यथास्थिति, 50 पैसे की वृद्धि या और वृद्धि की जाएगी, यदि खपच्ची के लिए या खपच्ची और बाहरी पर्त दोनों के लिए बांस का उपयोग किया गया हो ;

(iv) प्रवर्ग 2 में निर्दिष्ट दियासलाइयों, जिनकी खपच्ची बांस की बनी हैं, और जो 40-40 के बक्सों में पैक की गई है, को लागू शुल्क की दर, उसी कारखाने में विनिर्मित, उसी वर्णन की, किन्तु 50-50 के बक्सों में पैक की गई दियासलाइयों को लागू दर की 4/5 होगी, और यदि ऐसी पैकिंग 50-50 के बक्सों में नहीं की गई हो तो 50-50 के बक्सों में पैक की गई दियासलाइयों के लिए परिकल्पित अवधारित दर की 4/5 होगी ।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(i) दियासलाइयों के शीर्ष-भागों के लिए मसाले में खपच्चियों को डुबाने के लिए या डिब्बियों में दियासलाइयां भरने के लिए, या दोनों के लिए अपनाई गई यांत्रिक प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया मामूली तौर पर विद्युत की सहायता से की गई प्रक्रिया नहीं समझी जाएगी;

(ii) 1 अप्रैल, 1975 से 30 जून, 1975 तक की अवधि के दौरान दियासलाइयों के निकासी को भी निम्नलिखित अवधि के दौरान निकासी की अधिकतम सीमा अवधारित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा—

(क) खण्ड (i) [उसके उपखण्ड (ब) को छोड़कर] के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 1975-76, और

(ख) खण्ड (i) के स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए, 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि;

(iii) अधिसूचना संख्या 162/67–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जुलाई, 1967 के अधीन, छूट के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सब्भाषिक कुटीर एकक के रूप में सिफारिश किए गए एकक खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार सिफारिश किए गए समझे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1975 को और उससे प्रभावी होगी ।

[सं० 154/75]

एन० राजा, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975